

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

गमौरा विप्रधी वना
 मुकदमा 88, 188 पत्रावली संख्या 200 सं 15

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

11/5/17

पत्रावली तलब की गई। राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आगे है 2017" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प 11/5/17 दिनांक 24/5/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

24/5/17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित रहे। प्रकरण दो गेस्ट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16/11/17 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

16/11/17

पत्रावली सं 2, 5

नियम 5(2) के अंतर्गत पत्रावली सं 2, 5 में पेश नहीं किया जा रहा है। पत्रावली वास्तु तलब दिनांक 8/3/18 को पेश हो।

8/3/18 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

SDO मावली

19/11/18

पत्रावली सत्र की है। रजस्व लोक अदालत अधिवान "न्याय आपके द्वार-2018" आयोजित किया जाने से पत्रावली अधिवक्ता पदाधारण को स्थगित किया है। पत्रावली को...
दिनांक...18/11/18...को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) नावली

18/11/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोष में पेश हुई। वकील/प्रतिवादी उपस्थित रहे। प्रार्थना: रोज के परिसर स्थित किया जाने का निवेदन किया। आज: 18/11/18 पूर्व आदेश की पालना में दिनांक... को न्यायालय सत्र में पेश हो।

4/11/18

सहायक कलेक्टर
(SDO) नावली

4/10/18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधा/अपालाण्ट प्रतिवादी / विपक्षी /रिस्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 29/11/18...को पेश हो

29/11/18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधा/अपालाण्ट प्रतिवादी / विपक्षी /रिस्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 07/12/19...को पेश हो

07/12/19

आज दिनांक को चार एग्रेमिंट्स नावली ने कार्य स्थगित करने का आदेश दिया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/5/19... को पेश हो।

23/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधा/अपालाण्ट प्रतिवादी / विपक्षी /रिस्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 8/8/19...को पेश हो

8/8/19

पत्रावली पेश हुई। माध्यमता वाली प्रतिवादी को मावली जिले में जारी कर दी गया। अतः अनु. 23 पर वाद वाली अदालत में अदालत में अदालत किया जाता है। पत्रावली को पालन सुधार एडव. नम्बर में कर ही निर्दिष्ट हुआ। अतः